

पट्टा एवं विक्रय प्रलेख

यह पट्टा एवं विक्रय प्रलेख आज दिनांक 14th माह August वर्ष एक हजार नौ सौ 96 को एक ओर उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास अधिनियम 1976 (वर्ष 1976 के उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-6) की धारा-3 के अन्तर्गत गठित नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण जो एतदपश्चात् "प्राधिकरण" नामांकित होगा तथा इस अभिव्यक्ति में इसके उत्तराधिकारी व अभिहस्तांकित भी सम्मिलित होंगे तथा दूसरी ओर Sh. Rajesh Kumar Sharma

हस्त Sh. Parmeshwari Dassi
पुत्र/पुत्री/पत्नी Plot No 122 D 10-3 / XI (Sh. Parmeshwari Dassi)
निवासी Noida, Ghosia Road UP.
जो एतदपश्चात् "द्वितीयपक्ष" नामांकित होगा तथा इस अभिव्यक्ति में द्वितीयपक्ष के उत्तराधिकारी निष्पादक, प्रशासक, विधिक प्रतिनिधि व अभिहस्तांकित भी सम्मिलित होंगे, के मध्य प्राधिकरण के भवन संख्या 122 D ब्लाक 10-3 सैक्टर XI नोएडा के स्वामित्व के अधिकार तथा उक्त भवन की आनुपातिक आरक्षित भूमि के पट्टाधृत अधिकारों के अंतरण हेतु इस प्रलेख में वर्णित शर्तों व नियमों पर दोनों पक्षों की स्वतंत्र इच्छा व सहमति से निष्पादित किया गया है।

उक्त भवन जिसका विवरण अनुसूची (1) में उल्लेखित है प्राधिकरण द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के अन्तर्गत अधिग्रहीत औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु विकसित भूमि पर निर्मित आवासीय भवन का भाग है।

द्वितीयपक्ष ने प्राधिकरण की योजना में Vinodhachal श्रेणी के फ्लैट के आबंटन हेतु आवेदन किया है तथा प्राधिकरण द्वारा निम्न धारा 3(1) में वर्णित निर्धारित मूल्य पर तथा तत्पश्चात् उल्लेखित नियमों व विनियमों के अन्तर्गत मात्र आवासीय उपयोग हेतु क्रय करने तथा भवन से संबंधित अनुपातिक भूमि के पट्टाधृत अधिकारों का अंतरण करने को सहमत है।

1(1). द्वितीय पक्ष ने सुनिश्चित कर लिया है कि वह इस योजना में पंजीकरण हेतु जारी विवरण पत्रिका में वर्णित आबंटन की पात्रता के अन्तर्गत अर्ह है तथा प्राधिकरण की मांग पर इसे सिद्ध करने हेतु अपनी पूर्ण सहमति तथा स्वीकृति प्रदान करता है।

1(2). पूर्वलिखित विधिक प्रलेखों के निष्पादन के पश्चात् भी यदि किसी जाँच के परिणामस्वरूप प्राधिकरण द्वारा यह पाया जाता है कि (जिसका निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा) द्वितीयपक्ष द्वारा मूल आवेदन पत्र में या भवन के आबंटन व कब्जे से संबंधित अन्य पत्र व्यवहार में कोई असत्य/कपटपूर्ण/मिथ्यापूर्ण विवरण दिया है अथवा महत्वपूर्ण तथ्यों का जानबूझ कर प्राधिकरण से शपथ पर असत्य कथन किया है अथवा छल करने व छलपूर्वक भवन का आबंटन व कब्जा प्राप्त करने उद्देश्य से महत्वपूर्ण तथ्य छुपाये हैं, तो प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि भवन का आबंटन तथा विधिक प्रलेख निरस्त कर दें, द्वितीय पक्ष द्वारा जमा समस्त धनराशि जब्त करलें तथा द्वितीय पक्ष को भवन से निष्कासित करके कब्जा ले ले। इसके अतिरिक्त किसी प्रकार की जालसाजी अथवा मिथ्या निरूपण पाये जाने पर द्वितीय पक्ष के विरुद्ध फौजदारी कानून के अन्तर्गत कार्यवाही भी की जा सकती है।